न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 705 / 2021

प्रार्थीः– लिच्छाराम दत्तक पुत्र श्री मुकनाराम, जाति मेघवाल, निवासी तापू, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. अचलाराम पुत्र श्री देवाराम
2. रामूराम पुत्र श्री देवाराम
3. स्वरूपाराम पुत्र श्री मंगलाराम
4. खेमाराम पुत्र श्री मंगलाराम
5. दुर्गाराम पुत्र श्री अणदाराम
6. पपुदेवी पत्नी श्री मांगीलाल
7. सुखा पुत्री श्री लिखमाराम
8. बगड़ाराम पुत्र श्री लिखमाराम
9. समूदेवी पत्नी श्री देरामाराम
   जाति मेघवाल निवासी तापू
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
10. तहसीलदार, ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़
अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से–सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 12/3/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 592/1 रकबा 3.6017 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय ग्राम तापू, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि के उत्तरी व पश्चिमी दिशा में अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 592 रकबा 10.3195 हैक्टेयर मौजा ग्राम तापू तहसील ओसियां जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि में

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण ने दखलंदाजी करनी शुरू कर दी तथा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने के आशय से मौके पर विद्यमान माठ को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तब प्रार्थी ने अपनी भूमि की पैमाइश हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार बावड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया हैं जिस पर तहसीलदार बावड़ी ने आदेश क्रमांक 27 दिनांक 30.06.2014 को पारित कर हल्का पटवारी को प्रार्थी की उक्त भूमि बाबत् पैमाइश करने का आदेश दिया गया। श्रीमान् तहसीलदार बावड़ी के उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 16.07.2014 को हल्का पटवारी मौके पर पहुंच कर मौके पर उपस्थित पक्षकारान व मौतबीरान के रूबरू मीमो ट्रेश की सहायता से प्रार्थी की भूमि का सीमांकन किया तथा मौके पर सीमांकन अनुसार कच्चे निशान कायम किये गये। जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को भी पूर्ण रूप से थी। लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। उपरोक्त सीमांकन अनुसार जब प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की तारबंदी करने हेतु सीमांकन में बताये निशान अनुसार पत्थर रोपने शुरू किये तो अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर प्रार्थी को पत्थर रोपने से मना कर दिया और एलानिया कहा कि यह पूर्व में किये गये सीमांकन को हम नहीं मानते है। हम इस सीमांकन अनुसार मौके पर तारबंदी नहीं करने देंगे इस प्रकार अप्रार्थीगण बिना किसी कारण के प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच की सीमा को लेकर बिना किसी कारण के विवाद खड़ा कर दिया हैं जिसका निस्तारण केवल मात्र पत्थर गढ़ढी आदेश से ही होना सम्भव हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 592/1 रकबा 3.6017 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, ग्राम तापू, तहसील ओसियां तथा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 592 रकबा 10.3195 हैक्टेयर मौजा ग्राम तापू, तहसील ओसियां के मध्य की सीमा पर पत्थर गढ़ढी बाबत् टीम गठित करवाई जाकर पत्थर गढ़ढी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें साथ ही आवश्यकतानुसार आवश्यक पुलिस व्यवस्था हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना ओसियां को आदेश दिया जावें।

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक के जरिये प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण के तामिल सुदा नोटिस प्राप्त हुए। न्यायालय समय में बार–बार आवाज लगाने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी की व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद है जिसका निस्तारण केवल मात्र पत्थरगढी आदेश से ही संभव है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सही सीमांकन कर पत्थरगढी करवाई जावें। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 592/1 रकबा 3.6017 हैक्टेयर मौजा ग्राम तापू तहसील ओसियां जिला जोधपुर के पत्थरगढी बाबत् टीम गठित कर प्रार्थी की भूमि का सीमांकन किया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा पत्थरगढी कार्य करते वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना ओसियां से आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner